क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
स्कीम नं0 5,प्लाट नं.455/456, विजयनगर, जबलपुर–482002

Phone & Fex-0761-4042780 E-Mail romppcbjbp@rediffmail.com

क्रमांक / 1326 / क्षेका / प्रनिबो / 2020 जबलपुर, दिनांक 23/09/2020

प्रति,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली

विषय– मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसपल बेंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 70/2020 के पारित आदेश दिनांक 19/08/2020 के सबंध मे।

सदंर्भ :– माननीय एन.जी.टी. नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/08/2020

––00––

माननीय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसपल बेंच नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 70/2020 (द्वारका नाथ चौधरी विरूद्व म0प्र0 शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 19/08/2020 द्वारा कमेटी का गठन किया गया है। माननीय एनजीटी के आदेशानुसार संयुक्त दल द्वारा दिनांक 15/09/2020 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निर्देशानुसार संयुक्त दल का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न कर प्रस्तुत है।

संलग्न –निरीक्षण प्रतिवेदन
पेज क्रमांक 1 से 7 तक

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जबलपुर (म0प्र0)

Praveen -496

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19/08/2020 के संबंध मे गठित समिति का निरिक्षण प्रतिवेदन

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19/08/2020 के अनुसार निम्न अधिकारियों की कमेटी गठीत की गई थी।

1. कलेक्टर बालाघाट।
2. उपवनमण्डल अधिकारी बालाघाट सामान्य।
3. म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड।

उपरोक्त के संदर्भ मे आज दिनांक 15/09/2020 को स्थल का निरिक्षण किया गया है। निरिक्षण दिवस निम्न अधिकारी उपस्थित थे।

1. श्री दीपक आर्य कलेक्टर बालाघाट।
2. श्री मोहित सूद उपवनमण्डल अधिकारी बालाघाट सामान्य।
3. श्री पुष्पेन्द्र सिंह क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर।

स्थल मुआयना के पश्चात देखा गया कि स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई वृक्ष नही काटा गया है इसके फोटोग्राफ दर्शित है **संलग्न 1** । इस प्रकरण के आवेदक श्री डी.एन. चौधरी भी मौके पर उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक **संलग्न 2**। बालाघाट जिले मे बालाघाट शहर के आंतरिक मार्ग वैनगंगा पुल से गायखुरी–नवेगांव तक मार्ग निर्माण हेतु 4.8 हे0 मे से 2.64 हे0 की स्टेज 1 की सैद्धांतिक स्वीकृती के लिए निम्न अनुसार सशर्त सहमति दी गई थी। बैठक का कार्यवाही विवरण **संलग्न 3** मे अवलोकन करने का कष्ट करें।

1. प्रस्ताव मे व्यपवर्तित भूमि का रकबा 2.64 हे0 रहेगा।
2. प्रस्ताव मे 450 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
3. प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमी (2.64 हे0) आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
4. आवेदक संस्था द्वारा अंतिम स्वीकृती के पूर्व वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिलाध्यक्ष, बालाघाट से निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. प्रकरण से प्राप्त गैर वन भूमि पर site specific वृक्षारोपण योजना (Point no. 2-8 (3) of Handbook 2019) तैयार किया जावेगा जिसमे 10 वर्ष की अवधि रखरखाव का प्रावधान रहेगा।
6. भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण के प्रकरणों मे सैद्धांतिक अनुमोदन मे जो शर्तें सामान्य रूप से सम्मिलित की जाती है,उन्हे भी सैद्धांतिक सहमति मे सम्मिलित किया जाये।

उक्त भूमि वन विभाग लोक निर्माण विभाग को उपयोग मे देने हेतु समिति गठीत की गई थी। जिस पर मार्ग बनाया जाना प्रस्तावित था।

यह मार्ग रिजर्व फारेस्ट से गुजरता है जिसके चौड़ीकरण का प्रकरण विचाराधीन है। इस प्रस्ताव मे 450 से अधिक वृक्ष नही काटे जायेंगे। इस प्रस्तावित मार्ग के संबंध मे बीट नक्शा **संलग्न 4** । जिसमे प्रस्तावित मार्ग अंकित किया गया है।

(मोहित सूद)	(दीपक आर्य)	(पुष्पेन्द्र सिंह)
उपवनमण्डल अधिकारी	कलेक्टर बालाघाट	क्षेत्रीय अधिकारी
बालाघाट (सा.)		म.प्र. प्रदुशण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर

F:\Exp Memo.doc

संलग्न 01

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 70/2020 में दिनांक 19/08/2020 को पारित आदेश के संबंध में गठित समिति के निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ

बालाघाट जिले में बालाघाट शहर के आंतरिक मार्ग वैनगंगा पुल से गायखुरी–नवेगांव के फोटोग्राफ

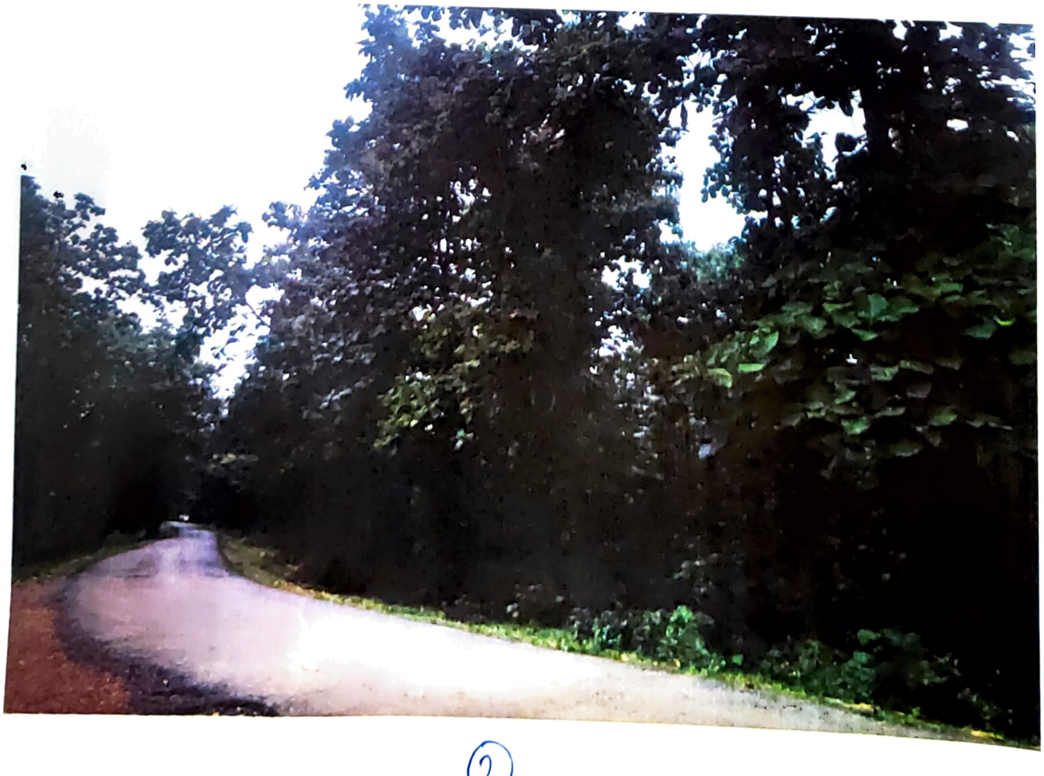

गठित समिति के फोटोग्राफ

संलग्न 02

उपस्थिति पत्रक

स्थानः— बालाघाट **दिनांक 15.09.2020**

आज दिनांक को राष्ट्रीय हरित क्रांति नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2020 के परिपेक्ष्य में गठित समिति के स्थल निरीक्षण दौरान निम्न अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहें।

नाम एवं पद	हस्ताक्षर
1. श्री दीपक आर्य जिला कलेक्टर बालाघाट	....
2. श्री मोहित सूद उपवनमण्डल अधिकारी बालाघाट सा.	....
3. डॉ पुष्पेन्द्रसिंह क्षेत्रिय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर	....
4. श्री द्वारकानाथ चौधरी आवेदक	....
5. अनिल कुमार तिवारी वनपाल परिक्षेत्र सहायक बालाघाट	
6. पुकेन्द्र बिसेन वनरक्षक बीट प्रभारी बालाघाट भाग-II	

संलग्न 03

वामपंथी चरमपंथी प्रभावित जिलों में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के आदेश दिनांक 15.02.2018 के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 24.01.2020 का कार्यवाही विवरण ।

एजेण्डा क्रमांक–1 बालाघाट जिले में बालाघाट शहर के आंतरिक माग्र वैनगंगा पुल से गायखुरी नवेगांव तक मार्ग निर्माण हेतु 4.800 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, बालाघाट को उपयोग पर देने बावत्।

इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, वन	अध्यक्ष
2.	श्री यू. प्रकाशम, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख	सदस्य
3.	श्री विभाष कुमार ठाकुर, उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)	सदस्य
4	श्री सुनील अग्रवाल, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)	सचिव

नोडल अधिकारी एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा इस प्रस्ताव का विस्तृत विवरण दिया गया। प्रस्ताव में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भारी वाहनों को शहर के बाहर से निकालने के उद्देश्य से एक सड़क निर्माण हेतु 4.8 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ROAD/33051/2018 प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव में कुल 723 वृक्ष विदोहित होना है।

समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त सैद्धांतिक सहमति दी गयी परन्तु स्टेज–1 निम्न शर्तो का पालन के उपरान्त ही जारी की जावेगी।

1. प्रस्ताव में व्यपवर्तित वन भूमि का रकबा 2.64 हेक्टेयर रहेगा।
2. प्रस्ताव में 450 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
3. प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि (2.64 हे.) आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
4. आवेदक संस्था द्वारा अंतिम स्वीकृति के पूर्व वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् जिलाध्यक्ष, बालाघाट से निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. प्रकरण से प्राप्त गैर वन भूमि पर site specific वृक्षारोपण योजना (Point no. 2-8 (3) of Handbook 2019) तैयार किया जावेगा जिसमें 10 वर्ष की अवधि के लिये रखरखाव का प्रावधान रहेगा।
6. भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण के प्रकरणों में सैद्धांतिक अनुमोदन में जो शर्तें सामान्य रूप से सम्मिलित की जाती है, उन्हें भी सैद्धांतिक सहमति में सम्मिलित किया जाये।

24/1/20 (सुनील अग्रवाल) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल	24/1/20 (विभाष कुमार ठाकुर) उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	(यू. प्रकाशम) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख	(ए.पी. श्रीवास्तव) अपर मुख्य सचिव, वन

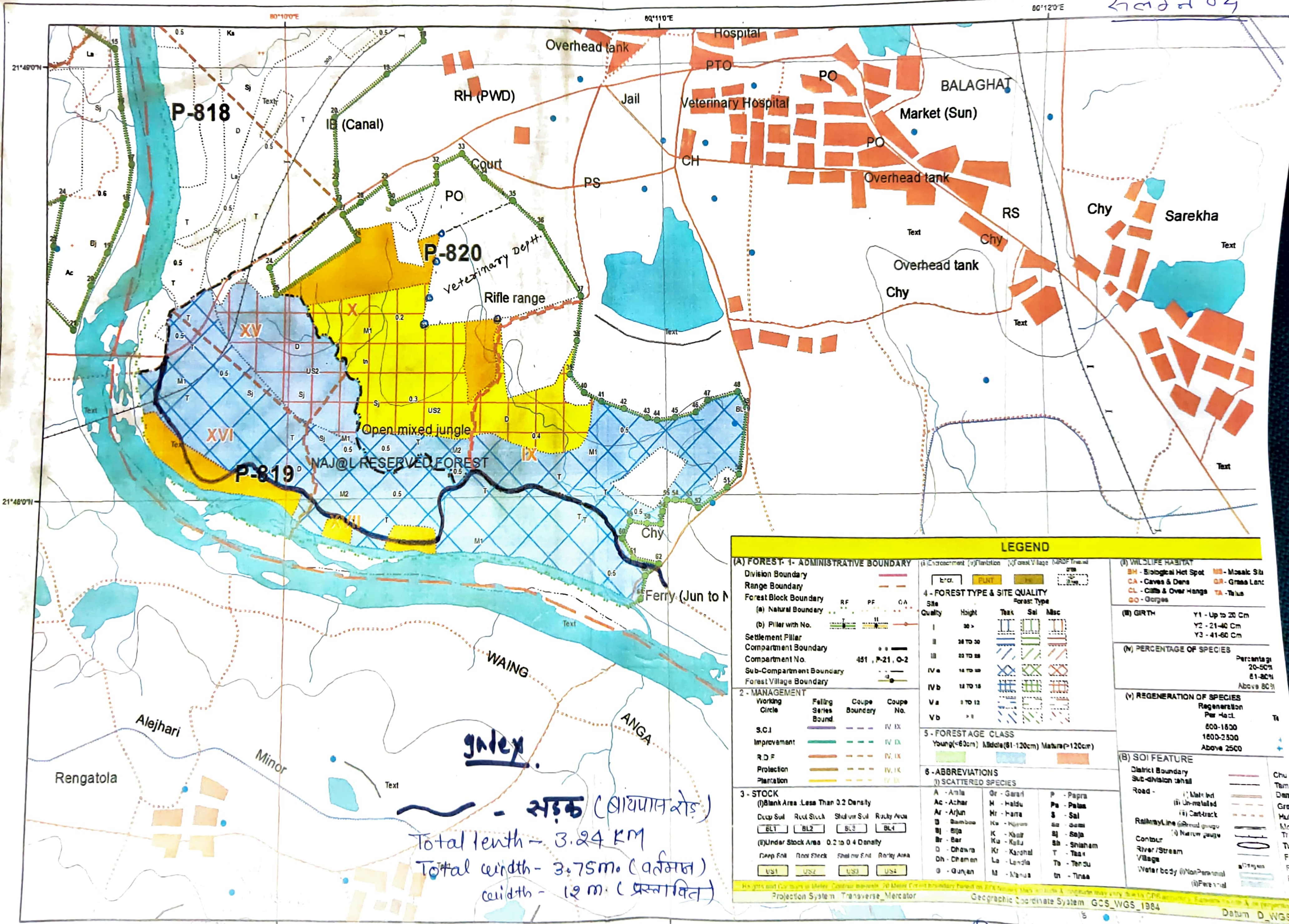
P-818
P-819
P-820
NAJ@L RESERVED FOREST
Open mixed jungle
Veterinary Depth.
Rifle range
IB (Canal)
RH (PWD)
Court
PO
PS
Jail
CH
Overhead tank
Hospital
PTO
Veterinary Hospital
BALAGHAT
Market (Sun)
RS
Chy
Sarekha
Ferry (Jun to N
WAING
ANGA
Alejhari
Minor
Rengatola
21°49'0"N
21°48'0"N
80°10'0"E
80°11'0"E
80°12'0"E
Index.
— सड़क (बायपास रोड)
Total lenth – 3.24 KM
Total width – 3.75m. (वर्तमान)
width – 12 m. (प्रस्तावित)
LEGEND
(A) FOREST- 1- ADMINISTRATIVE BOUNDARY
Division Boundary
Range Boundary
Forest Block Boundary
(a) Natural Boundary
(b) Pillar with No.
Settlement Pillar
Compartment Boundary
Compartment No.
Sub-Compartment Boundary
Forest Village Boundary
2 - MANAGEMENT
Working Circle
Felling Series Bound
Coupe Boundary
Coupe No.
S.C.I
Improvement
R.D.F
Protection
Plantation
3 - STOCK
(i)Blank Area Less Than 0.2 Density
(ii)Under Stock Area 0.2 to 0.4 Density
4 - FOREST TYPE & SITE QUALITY
5 - FOREST AGE CLASS
Young(<60cm) Middle(61-120cm) Mature(>120cm)
6 - ABBREVIATIONS
(i) SCATTERED SPECIES
(ii) WILDLIFE HABITAT
(iii) GIRTH
(iv) PERCENTAGE OF SPECIES
(v) REGENERATION OF SPECIES
(B) SOI FEATURE
District Boundary
Road
Railway Line
Contour
River/Stream
Village
Water body
Projection System Transverse_Mercator
Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984
Datum D_WGS